न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं.17/ 2024

प्रार्थीगण–

1.1 श्री राजीव कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथसिंह, निवासी 17 A ANO 790 SANJEEV NAGAR AHIRWAN CHAKERI KANPUR — **–भावी दत्तक माता–पिता**

1.2 श्रीमती प्रियंका कुमारी पत्नी श्री राजीव कुमार सिंह निवासी 17 A ANO 790 SANJEEV NAGAR AHIRWAN CHAKERI KANPUR

2. अधीक्षक, राजकीय शिशु गृह एवं दत्तक ग्रहण स्थापन एजेन्सी, बाल अधिकारिता विभाग, बाड़मेर — **–दत्तकग्रहण स्थापन एजेन्सी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 58 किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 वास्ते अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालक (ध्रुव) का देश के भीतर दत्तकग्रहण ।

आदेश

दिनांक : 20.12.2024

1. प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 58 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 वास्ते अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित **बालक (ध्रुव)** का देश के भीतर दत्तकग्रहण पेश किया गया। प्रार्थीगण सं. 1 द्वारा अनुसूची–8 में दत्तकग्रहण पूर्व पोषण वचनबद्धता का शपथ–पत्र एवं प्रार्थी सं. 2 द्वारा अनुसूची–XXIII में इस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों एवं दत्तकग्रहण के समर्थन में नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी सं. 2 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 65 के अधीन राज्य सरकार से किशोर न्याय अधिनियम और दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के दत्तकग्रहण के माध्यम से पुनर्वास के लिये मान्यता[illegible] है। प्रार्थीगण सं. 1 भावी दत्तक माता–पिता हैं जिनके द्वारा बालक द[illegible] संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर [illegible] पर आवेदक का पंजीकरण सं. **PrUt187305677** पर किया गया। उक्त प्रार्थीगण सं. 1 की दत्त[illegible] बाबत उनकी पात्रता एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि [illegible] अध्ययन इस बाबत [illegible] प्राप्त **श्रीमती कंचन जैसवाल सामाजिक कार्यकर्ता, विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेन्सी, दत्तकग्रहण युनिट 3–प्राग नारायण रोड़ लखनऊ (उतरप्रदेश)** द्वारा किया जाकर अनुसूची–VII में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। इस दत्तकग्रहण में दत्तक के रूप में दिये जाने वाला **बालक (ध्रुव)** को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:31:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 38 के अधीन बाल कल्याण समिति बाड़मेर द्वारा आदेश क्रमांक **2135** दिनांक **14.11.2024** के द्वारा दत्तकग्रहण के लिये वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है, जिसका विस्तृत अभिकथन अनुसूची–1 में वर्णित किया गया हैं।

3. प्रार्थीगण सं. 1 को केयरिंग्स द्वारा उक्त **बालक (ध्रुव)** को दत्तक हेतु नामांकित किये जाने पर बालक का चिकित्सा जांच एवं परीक्षण करवाया जाकर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी शिशुगृह, बाल अधिकारिता विभाग, बाड़मेर द्वारा परिशिष्ठ–III में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें किसी प्रकार की प्रतिकूल अवस्था को नहीं दर्शाया गया हैं। उक्त बालक को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण/बालक देखरेख संस्था राजकीय शिशु गृह एवं दत्तक ग्रहण स्थापन एजेन्सी, बाल अधिकारिता विभाग, बाड़मेर में दिनांक 13.09.2024 को प्रविष्ट किया गया हैं। प्रार्थीगण सं. 1 दत्तक आवेदक दम्पति को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) दिल्ली के द्वारा **बालक (ध्रुव)** की जन्म दिनांक 12.09.2024 को ऑनलाईन मिलान कराने के उपरांत दत्तक ग्रहण समिति बाड़मेर की बैठक दिनांक 04.12.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने आदेश क्रमांक 430 दिनांक 04.12.2024 द्वारा बालक को दत्तक पूर्व फोस्टर केयर में 03 माह की अवधि के लिये दिया गया हैं।

4. प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से उपस्थित होकर यह प्रार्थना–पत्र किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 58 के तहत प्रस्तुत कर उक्त **बालक (ध्रुव)** को भावी माता–पिता को दत्तकग्रहण में देने तथा विधि द्वारा अनुज्ञेय सभी प्रयोजनों के लिये उन्हे माता–पिता घोषित करने के साथ–साथ जन्म प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को विनियम 40 के उपबन्धों के अनुसार बालक का जन्म प्रमाण–पत्र जारी करने के निर्देश जारी करने हेतु निवेदन किया गया हैं।

5. हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 57 में यथा उल्लेखित भावी माता पिता की पात्रता के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध दस्तावेजों एवं गृह अध्ययन रिपोर्ट अनुसूची–VII का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि प्रार्थीगण सं. 1 आवेदित दत्तक ग्रहण हेतु सक्षम हैं तथा दत्तक में दिये जाने वाले **बालक (ध्रुव)** के भावी जीवन की सुरक्षा व संरक्षण करने की जिम्मेदारी का निर्वहन भली–भांति कर सकते हैं। इसी आशय की वचनबद्धता का शपथ–पत्र अनुसूची–8 में नोटेरी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया गया हैं। दत्तकग्रहण हेतु भावी माता–पिता का चिकित्सा जांच **डॉ. आर.के. गुप्ता अपर मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकृत अधिकारी स्वास्थ्य एवं आयु प्रमाण कृते मुख्य चिकित्सक अधिकारी कानपुर नगर रजि. नं. 37770** द्वारा की जाकर अपनी रिपोर्ट में किसी प्रकार के दीर्घ अवधि के असाध्य रोग से ग्रसित नहीं होना उल्लेखित किया गया हैं। इसी क्रम में प्रार्थीगण सं. 1 के व्यक्तिगत जीवन आचरण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:31:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

व्यवहार की पुष्टि हेतु स्वतंत्र गवाह के रूप में श्रीमती शैल देवी पत्नी श्री परमा सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरेया रत्नाकर पोस्ट सरेया बसंत, नारायणपुर, सारन, बिहार 841401 एवं श्री परमा सिंह वल्द स्व. श्री मोसाहेब जाति राजपूत निवासी ग्राम सरेया रत्नाकर पोस्ट सरेया बसंत, नारायणपुर, सारन, बिहार 841401 द्वारा संदर्भ हेतु वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। बाल कल्याण समिति, बाड़मेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2135 दिनांक 14.11.2024 द्वारा दत्तक में दिये जाने हेतु **बालक (ध्रुव)** को दत्तकग्रहण के लिये वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अनुसूची–XXIII में इस प्रार्थना–पत्र के एवं तथ्यों दत्तकग्रहण के समर्थन में नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

6. प्रकरण में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 58, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अध्याय–7 एवं दत्तकग्रहण विनियम, 2017 के अनुच्छेद–12 में यथा प्राविधित प्रार्थीगण सं. 1 की पात्रता की पूर्ण जांच एवं प्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से इस बात की पूर्ण संतुष्टि हैं कि दत्तकग्रहण के लिये वैध रूप से स्वतंत्र घोषित **बालक (ध्रुव)** जिसका भावी माता–पिता द्वारा रखा गया नया नाम **कृष्ण कुमार सिंह** को प्रार्थी सं. 1 को दत्तक के रूप में दिया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर बाल कल्याण समिति बाड़मेर के आदेश क्रमांक 2135 दिनांक 14.11.2024 द्वारा दत्तकग्रहण के लिये वैध रूप से स्वतंत्र घोषित **बालक (ध्रुव)** जिसका भावी माता–पिता द्वारा रखा गया नया नाम **कृष्ण कुमार सिंह** को प्रार्थीगण सं. 1 श्री राजीव कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथसिंह, निवासी 17 A ANO 790 SANJEEV NAGAR AHIRWAN CHAKERI KANPUR एवं श्रीमती प्रियंका कुमारी पत्नी श्री राजीव कुमार सिंह निवासी 17 A ANO 790 SANJEEV NAGAR AHIRWAN CHAKERI KANPUR को दत्तक के रूप में दिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रार्थी सं. 2 को निर्देशित किया जाता हैं कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर प्रार्थीगण सं. 1 को सुपुर्द कर पावती प्रस्तुत करें तथा दत्तक में दिये गये बालक के सम्बन्ध में विनियम के अनुच्छेद–13 में यथा प्राविधित समय–समय पर प्रार्थीगण सं. 1 के गृह अध्ययन की रिपोर्ट निर्धारित प्ररूप में प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस दत्तकग्रहण आदेश के अनुसरण में दत्तक बालक (ध्रुव) नया नाम **कृष्ण कुमार सिंह** का विनियम 40 के उपबन्धों के अनुसार [illegible] हेतु एक प्रमाणित प्रति जन्म–मृत्यु पंजीयक, आयुक्त [illegible] परिषद बाड़मेर [illegible] हों।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:31:01 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर